सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 कार्तिक, 1944 (श०)

संख्या – 519 राँची, बुधवार, 26 अक्टूबर, 2022 (ई०)

उद्योग विभाग

संकल्प

20 अक्टूबर, 2022

विषयः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Centre की स्थापना के निमित्त बोकारो पुनर्वास क्षेत्र मौजा केन्दुआडीह, थाना जरीडीह (थाना संख्या-9) के सर्वे खाता नं० 27, 15, 12 के सर्वे प्लॉट नं0 336, 337, 339 अंश, क्रमशः रकबा 11.76 एकड़, 6. 69 एकड़ एवं 2.01 एकड़ समेकित कुल 20.46 एकड़ भूमि का एक रूपया सांकेतिक मूल्य पर नवीकरण के विकल्प के साथ विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) भारत सरकार, नई दिल्ली को 30 वर्षों के लिए अस्थाई तौर पर लीज बंदोवस्ती करने के संबंध में।

ज्ञापांक 1151--सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) भारत सरकार द्वारा Establishment and New Technology Centre/ Extension Centre योजना के अन्तर्गत बोकारो जिला में Technology Centre की स्थापना का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित Technology Centre द्वारा राज्य अन्तर्गत उद्योगों को निम्नवत सहयोग प्रदान किया जायेगा :

- Providing access to Advanced Manufacturing Technologies,
- Skilling of manpower in latest manufacturing practices,
- Providing technical and business advisory support, and support for prototyping and commercialization.

विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) भारत सरकार के अनुसार पूरे भारत में 20 Technology Centre की स्थापना की जानी है जिसमें प्रत्येक Technology Centre की स्थापना पर अनुमानित व्यय रू0 200.00 करोड़ है जिसमें राज्य सरकार को भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है तथा अन्य व्यय जैसे भवन निर्माण, मशीन उपकरण तथा संचालन व्यय इत्यादि भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा वहन किया जाएगा ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित Technology Centre की स्थापना हेतु बोकारो पुनर्वास क्षेत्र मौजा केन्दुआडीह, थाना जरीडीह (थाना संख्या-9) के सर्वे खाता नं० 27, 15, 12 के सर्वे प्लॉट नं0 336, 337, 339 अंश, रकबा क्रमशः 11.76 एकड़, 6.69 एकड़ एवं 2.01 एकड समेकित कुल 20.46 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है ।

उक्त चिन्हित भूमि परियोजना, भूमि एवं पुनर्वास निदेशालय, बोकारो के अन्तर्गत है, जो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना से प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहित है। भूमि का स्वामित्व उद्योग विभाग, झारखण्ड के पास है। उक्त भूमि वर्तमान में खाली है तथा कोई पर्चा निर्गत नहीं है ।

प्रस्तावित भूखण्ड की लीज बंदोवस्ती विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) भारत सरकार, नई दिल्ली को इस शर्त पर किया जायेगा कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि की लीज बंदोवस्ती की जा रही है. उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को वापस हो जायेगी ।

उपायुक्त, बोकारो द्वारा प्रस्तावित भूमि से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं आश्वस्त होने के पश्चात ही भूमि की लीज बंदोवस्ती की विधिवत कार्रवाई की जायेगी ।

वर्तमान में संदर्भित भूमि की लीज बंदोबस्ती स्थापित व्यवस्था के अंतर्गत की जायेगी तथा इस हेतु अन्य शर्तें State Manual में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू की जायेगी ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Centre की स्थापना के निमित्त बोकारो पुनर्वास क्षेत्र मौजा केन्दुआडीह, थाना जरीडीह (थाना संख्या-9) के सर्वे खाता नं० 27, 15, 12 के सर्वे प्लॉट नं0 336, 337, 339 अंश क्रमशः रकबा 11.76 एकड़, 6.69 एकड़ एवं 2.01 समेकित कुल 20.46 एकड़ भूमि का एक रूपया सांकेतिक मूल्य पर नवीकरण के विकल्प के साथ विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) भारत सरकार, नई दिल्ली को 30 वर्षों के लिए अस्थाई तौर पर लीज बंदोवस्ती की जायेगी ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची का मंतव्य तथा वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची की सहमति के पश्चात् विभागीय संलेख ज्ञापांक- 220 दिनांक 29.09.2022 में अंकित उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 29.09.2022 के मद संख्या-32 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 519 – 50